न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, चित्तौड़गढ़

पीठासीन अधिकारी :– इन्द्र सिंह राव, आई.ए.एस.

अपील सं. 275/2016/डिक्री

1. दिनेश पिता रामकिशन दमामी
2. मुकेश पिता रामकिशन दमामी
3. राकेश पिता रामकिशन दमामी
   तीनो निवासी एफ.सी.आई. गोदाम के पीछे चन्देरिया जिला चित्तौड़गढ़
4. विघा पुत्री रामकिशन दमामी
   हाल निवासी दौलतगढ तहसील आसीन्द जिला भीलवाडा

–अपीलान्टस

बनाम

1. तुलसीराम पिता शम्भु दमामी
   निवासी रावला के पास बस्सी तहसील व जिला चित्तौड़गढ़
2. रामकिशन पिता शम्भु दमामी
   निवासी एफ.सी.आई. गोदाम के पीछे चन्देरिया जिला चित्तौड़गढ़
3. अशोक पिता तुलसीराम दमामी
   निवासी रावला के पास बस्सी तहसील व जिला चित्तौड़गढ़
4. राज्य जरिये तहसीलदार चित्तौड़गढ

–रेस्पोडेन्टस

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955
विरूद्ध निर्णय एवं डिक्री न्यायालय, उपखण्ड अधिकारी, चित्तौड़गढ़
दिनांक 30.05.2016 प्रकरण सं. 51/2016

उपस्थित – 1. श्री बंसतीलाल पोखरना – अभिभाषक अपीलान्टस
2. श्री छोगालाल जाट– अभिभाषक रेस्पोडेन्ट–1 व 3
3. दिनेश शर्मा – अभिभाषक शर्मा – 2

निर्णय दिनांक– 01.12.2017

1. प्रकरण के तथ्य संक्षिप्त मे इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय मे अपीलान्टस/वादीगण की ओर से इस आशय का वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88 एवं 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम पेश किया गया था ग्राम बस्सी तहसील व जिला चित्तौड़गढ़ मे गत भू–प्रबन्ध की आराजी नम्बर 1929,1930,1932 व 1933 दर्ज रिकार्ड थे जिसके नवीन भू–प्रबन्ध मे नवीन आराजी नम्बर 3739,3740,3741,3742,3743 किता 5 कुल रकबा 1.70 है0 बने है। उक्त वर्णित आराजीया तमे अपीलान्टस एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 3 का जन्म से ही हक अधिकार हिस्सा खातेदारी है क्योकि अपीलान्टस व रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 3 एक ही पूर्वजो की संताने है एवं उपरोक्त वर्णित आराजीयात अपीलान्टस/वादीगण एवं रेस्पोडेन्टस/प्रतिवादी संख्या 1,2, व 3 की पैतृक आराजीयात होकर जिसमे अपीलान्टस एवं

रेस्पोडेन्टस संख्या 1,2,3 का जन्म से ही अवैधानिक अधिकार व हिस्सा खातेदारी विधि द्वारा स्वीकृत है इस कारण रेस्पोडेन्ट/प्रतिवादी संख्या 2 रामकिशन जो कि अपीलान्टस के पिता है उन्हे अपने सम्पूर्ण हिस्से को अन्य किसी को किसी भांति हस्तान्तरित करने या परित्याग करने का अधिकार नही है और उन्होने ऐसा कोई परित्याग रेस्पोडेन्टस संख्या 1 तुलसीराम के पक्ष मे किया है तो वह अपीलान्टस के हक हिस्से खातेदारी अधिकार के मुकाबले नाजायज एवं प्रभावहीन है इस कारण वादीगण के हक अधिकार एवं हिस्से पर रेस्पोडेन्टस संख्या 2 रेस्पोडेन्टस संख्या 1 के पक्ष मे किये गये हक त्याग विलेख शून्य एवं प्रभावहीन होने से उक्त आराजीयात मे अपीलान्टस का हिस्सा खातेदारी घोषित किया जाए एवं स्थायी निषेधाज्ञा की वांछित डिक्री प्रदान की जावे।

2. यह कि राजस्व लोक अदालत कैम्प कोर्ट बस्सी मे बिना अपीलान्टस को बिना सूचना दिये बिना वादीगण को सुने बिना अपीलान्टस को अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान किये जाने प्राकृतिक न्याय के सामान्य सिद्वान्तो के विपरीत वाद को निस्तारण हेतु विधि मे विहित प्रक्रिया का अनुपालन न करते हुए अधीनस्थ न्यायालय ने इस आधार पर निर्णय दिनांक 30/05/2016 को पारित कर दिया कि वादीगण सक्षम न्यायालय मे पंजीकृत रिलीज डीड ओर से रामकिशन दमामी बहक तुलसीराम दमामी निरस्त कराये। वादपत्र के पढने मात्र से ही यह स्पष्ट है कि वादीगण द्वारा अधीनस्थ न्यायालय मे प्रस्तुत वाद राजस्व न्यायालय के समायत योग्य है। अतः अपील अपीलान्टस स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी चित्तौड़गढ़ द्वारा पारित डिक्री एवं निर्णय दिनांक 30/05/2016 निरस्त फरमाया जावे।

3. दौराने बहस वकील अपीलान्ट ने बयान किया कि श्री रामकिशन अपीलान्ट संख्या 1 से 3 का पिता है तथा श्री तुलसीराम, श्री रामकिशन का भाई है। श्री अशोक तुलसीराम का पुत्र है एवं सभी एक ही परिवार के सदस्य है। संवत् 2016 से 20 की जमाबन्दी के मुताबिक विवादग्रस्त भूमि श्री शम्भु के दो पुत्र श्री तुलसीराम एवं श्री रामकिशन है। यह सम्पत्ति पैतृक होने कारण इसमे पैदाईशी हक है। पिता के जीवनकाल मे ही इसमे घोषणा कराना चाहते है। श्री रामकिशन द्वारा तुलसीराम के हक मे रिलीजडीड कर दी गई है जिसका उसको कोई हक नही है। उक्त रिलीजडीड मे अपीलान्ट कही पार्टी नही है। शिविर मे फैसला जल्दबाजी मे किया गया है जिसकी जानकारी अपीलान्ट को नही मिली। इस प्रकरण मे शिविर के सम्बन्ध मे न तो नोटिस जारी हुए तथा न ही तामील हुए। जिसके कारण कोई उपस्थित भी नही हुआ। पक्षकारान द्वारा किसी प्रकार का राजीनामा भी प्रस्तुत नही

किया गया। इस प्रकार पारित निर्णय प्राकृतिक न्याय के सिद्वान्त के विरूद्ध है। ऐसी स्थिति मे अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय अपास्त किया जावे।

4. दौराने बहस वकील रेस्पोडेन्ट ने बयान किया कि दावा रामकिशन के वारिसान ने पेश किया है जो इस न्यायालय मे अपीलान्ट है। अपीलान्ट/वादीगण विवादग्रस्त भूमि के खातेदार नही है। संवत् 2065—68 की जमाबन्दी से यह तथ्य स्पष्ट है। इंतकाल संख्या 1608 दिनांक 05/04/2010 जो कि वाद के पूर्व की तारीख है, के दौरान सम्पूर्ण खाता तुलसीराम के नाम दर्ज हो गया है। उक्त रिलीजडीड को आज तक निरस्त नही कराया गया है। दावा जिस दिन प्रस्तुत किया गया है उस दिन रामकिशन खातेदार नही है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सुनवाई का समुचित अवसर दिया जाकर निर्णय पारित किया गया है जिसमे किसी प्रकार की विधिक त्रुटि नही है। इसलिये अपील अपीलान्ट खारीज की जावे।

5. बहस उभयपक्ष सुनी गई जिस पर मनन किया गया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली एवं रिकार्ड का अवलोकन किया गया। इस प्रकरण मे यह निर्विवादित है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा ग्राम विकास शिविर के सम्बन्ध मे नोटिस विधिवत तामील कराये बिना निर्णय पारित किया गया है तथा न ही किसी प्रकार का राजीनामा ही प्रस्तुत हुआ है। ऐसी सूरत मे अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय प्रथम दृष्टया न्यायोचित नही होने के कारण खारीज होने योग्य है। फलतः अपील अपीलान्टस स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय, उपखण्ड अधिकारी, चित्तौड़गढ़ द्वारा प्रकरण संख्या 51/2016 मे पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 30/05/2016 अपास्त की जाकर प्रकरण मे उभयपक्षो को सुनवाई का समुचित अवसर देते हुए तनकीयात कायम कर गुणावगुण के आधार पर पुनः निर्णय पारित करने हेतु प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाता है। निर्णय सरे इजलास सुनाया गया। पत्रावली फैसला शुमार होकर नम्बर से कम हो।

(इन्द्र सिंह राव)
आई.ए.एस.
राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौड़गढ़